न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

–:: विविध आदेश ::–

क्रमांक–क्यू/मु0न्या0मजि0/कार्य.विभा./2025 सूरजपुर, दिनांक–02.04.2025

सिविल जिला सूरजपुर में जारी कार्य विभाजन आदेश को अतिष्ठित करते हुये मैं श्री डी.एस. बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजपुर जिला–सूरजपुर (छ0ग0), अंतर्गत धारा 14(1) एवं धारा 15(2) दं0प्र0सं0 के तहत् माननीय उच्च् न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश सूरजपुर छ0ग0 के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुये सिविल जिला सूरजपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य नवीन कार्य विभाजन निम्नानुसार जारी करता हूँ, जो माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय सूरजपुर के **अनुमोदन दिनांक** 02-04-2025 से प्रभावशील होगा।

क्रं0	स्तम्भ क्रं0–2	स्तम्भ क्रं0–03	स्तम्भ क्रं0–04
01	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	दं0प्र0सं0 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यक्षेत्र	आबंटित कार्य के प्रकार
01.	श्री डी.एस. बघेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर अनुमोदित, 02/04/2025 Principal District & Sessions Judge Surajpur (C.G.)	थाना सूरजपुर, थाना विश्रामपुर, थाना जयनगर, भटगांव, थाना चांदनी एवं यातायात थाना सूरजपुर से संबंधित तहसील के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उद्भुत प्रकरण।	1– सूरजपुर जिला से उद्भुत होने वाले :– केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994, विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1992 कंपनीज अधिनियम,1956 धनकर अधिनियम,1957 आयकर अधिनियम,1961 सीमाशुल्क अधिनियम,1962 निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम,1963) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम,1964 एकाधिकार तथा अवरोधक, व्यापारिक अधिनियम 1969 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2– सम्पूर्ण सूरजपुर जिला के क्षमा प्राप्त अभियुक्त से संबंधित प्रकरण। 3– सम्पूर्ण सूरजपुर जिला के सभी अभियोग पत्र जिसमें पूर्व में दो वर्ष से अधिक का कारावास दंड पाये हों। 4– स्तम्भ क्रं0–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संबंधित परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 एवं घरेलू हिंसा के तहत् पेश परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005 संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। 5– स्तम्भ क्रं0–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्पमात्रा तक के प्रकरण का निराकरण करना। 6– जी.आर.पी. थाना अनूपपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भा.दं.सं. के ऐसे प्रकरण जो पुलिस थाना विश्रामपुर,

			जयनगर एवं सूरजपुर से संबंधित हैं, का निराकरण करना। **7— न्यायिक मजि0 प्रतापपुर के क्षेत्राधिकार वाले थानों (थाना प्रतापपुर, रमकोला, चंदौरा एवं थाना भटगांव के प्रतापपुर तहसील के ग्राम सोनगरा, बोझा, कोरंधा, बंशीपुर, सेधोपारा, जरही, श्यामनगर) को छोड़कर जिला सूरजपुर के समस्त थानों के खात्मा को प्रस्तुत करें।** 8— ऐसे प्रकरण जो इस कार्य विभाजन आदेश में वर्णित नहीं हैं तथा ऐसे प्रकरण जो किसी विधि या अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय हैं, का निराकरण करना। 9— माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना। **10— पूर्व में रिक्त न्यायालय से संबंधित कार्य का निष्पादन करना।** **11— सम्पूर्ण थाना से उत्पन्न खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों को प्रस्तुत करना।** **12— सम्पूर्ण सूरजपुर जिला के धारा 34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम के मामले जिनमें जप्त शराब की मात्रा पांच बल्क लीटर से अधिक हो।**
02.	कु0 रूपल अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपूर	थाना रामानुजनगर	1— स्तम्भ क्रं0—3 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्पमात्रा तक के प्रकरण, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा तथा उपरोक्त थाना क्षेत्रों के द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना। 2— माननीय सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना। 3— स्तम्भ क्रं0—3 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले संबंधित परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 एवं घरेलू हिंसा के तहत् पेश परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005 संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। **4— थाना जयनगर** से उत्पन्न धारा 51(क)—52 से उत्पन्न प्रकरणों में संपत्ति का सेम्पलिंग एवं सीलबंद करना।
03.	कु0 पायल टोपनो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपूर	थाना— भैयाथान	1— स्तम्भ क्रं0—3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्पमात्रा तक के प्रकरण, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा तथा उपरोक्त थाना क्षेत्रों के द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना। 2— माननीय सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना। 3— स्तम्भ क्रं0—3 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले संबंधित परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 एवं घरेलू हिंसा के तहत् पेश परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005 संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। **4— थाना प्रेमनगर, चोंदनी** से उत्पन्न धारा 51(क)—52

			से उत्पन्न प्रकरणों में संपत्ति का सेम्पलिंग एवं सीलबंद करना।
04.	श्रीमती रूची मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपूर	थाना प्रेमनगर	1— स्तम्भ क्रं0—3 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्पमात्रा तक के प्रकरण, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा तथा उपरोक्त थाना क्षेत्रों के द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना। 2— माननीय सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना। 3— स्तम्भ क्रं0—3 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले संबंधित परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 एवं घरेलू हिंसा के तहत् पेश परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005 संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। **4— थाना भटगांव, ओड़गी** से उत्पन्न धारा 51(क)—52 से उत्पन्न प्रकरणों में संपत्ति का सेम्पलिंग एवं सीलबंद करना।
05.	श्री आशीष भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपूर	थाना ओड़गी	1— स्तम्भ क्रं0—3 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्पमात्रा तक के प्रकरण, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा तथा उपरोक्त थाना क्षेत्रों के द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना। 2— माननीय सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना। 3— स्तम्भ क्रं0—3 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले संबंधित परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 एवं घरेलू हिंसा के तहत् पेश परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005 संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। **4— थाना सूरजपुर, विश्रामपुर,** से उत्पन्न धारा 51(क)—52 से उत्पन्न प्रकरणों में संपत्ति का सेम्पलिंग एवं सीलबंद करना।
06.	श्रीमती अंजली पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपूर		1— माननीय सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।
07.	श्रीमती स्वर्णा डेहरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपूर		2— माननीय सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना। **4— थाना रामानुजनगर, भैयाथान** से उत्पन्न धारा 51(क)—52 से उत्पन्न प्रकरणों में संपत्ति का सेम्पलिंग एवं सीलबंद करना। **5— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतापपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्रों को छोड़कर शेष समस्त सूरजपुर जिले के सभी थाना क्षेत्रों से उद्भुत होने वाले धारा 74 से 79 बी0एन0एस0 के प्रकरणों का विचारण करना।**
08.	श्री सतीश कुमार खाखा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	थाना प्रतापपुर, रमकोला, चंदौरा	1— स्तम्भ क्रं0—3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, एन.डी.

		श्रेणी, प्रतापपुर	एवं थाना भटगांव से संबंधित प्रतापपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।	पी.एस. एक्ट 1985 के अल्पमात्रा तक के प्रक परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा तथा उपरोक्त थाना क्षे के द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना। 2— माननीय सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर द्वारा समय–समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना। 3— स्तम्भ क्रं0–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संबंधित परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 एवं घरेलू हिंसा के तहत् पेश परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005 संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। 4— थाना प्रतापपुर, रमकोला, चंदौरा एवं थाना भटगांव से संबधित प्रतापपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र से उत्पन्न धारा 51(क)–52 से उत्पन्न प्रकरणों में संपत्ति का सेम्पलिंग एवं सीलबंद करना। 5— स्तंभ कमांक 03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले धारा 125 द0प्र0सं0 से संबंधित प्रकरणो का निराकरण करना।

—:: आवश्यक टीप ::—

1. तालिका स्तम्भ क्रमांक–1 में दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, न्यायालय के रिक्त होने पर या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने हेतु नीचे दिये जा रहे तालिका के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है।

2. जिला सूरजपुर में वन विभाग (वन विधि) के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण तालिका के स्तम्भ क्रमांक–3 के अंतर्गत थाना क्षेत्र के अनुसार क्षेत्राधिकार रखने वाले स्तम्भ क्रमांक–2 में उल्लेखित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किये जायेगें।

3. धारा–195 दं0प्र0सं0 के तहत् लिखित परिवाद नीचे दिये गये तालिका के स्तम्भ क्रमांक–01 में उल्लेखित न्यायालय से संबंधित होने की स्थिति में उसी तालिका के स्तम्भ क्रमांक–2 मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिये जाएंगे।

4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले थाना क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनकी अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जाएंगे किन्तु दं0प्र0सं0 की धारा– 468(2) के उपबंधों की अवहेलना न हो।

5. संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अपनाने हेतु अधिकृत सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षित है कि वे अपने न्यायिक कार्य को अप्रभावित रखते हुए प्रत्येक माह में कम से कम 01 चलित न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के थाना क्षेत्रों में लगायेंगे।

6. आवकारी उपनिरीक्षक वृत्त सूरजपुर के मामले जो पांच बल्क लीटर तक का होगा, उसी न्यायालय में पेश किये जायेंगे, जिस थाना क्षेत्राधिकार की सुनवाई की अधिकारिता है।

7. अवकाश दिवस में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सूरजपुर के मुख्यालय में अनुपस्थित रहने की दशा में रिमांड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतापपुर के समक्ष तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतापपुर के मुख्यालय में अनुपस्थित रहने की दशा में रिमांड सूरजपुर मुख्यालय में पेश होगा।

8. ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विशिष्ट उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में नहीं है या अन्य प्रकार की शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर या मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा, जो ऐसे मामलो का निराकरण करेंगे।

9. अवकाश जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे।

10. आवश्यक आपराधिक प्रकरणों के कार्य के अंतर्गत :–

(अ) पुलिस चालान/परिवाद स्वीकार करना, जमानत, संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकारोक्ति से संदर्भित सभी प्रकरण का निराकरण करना एवं अन्य सभी आवश्यक प्रकृति के कार्य है, जिनका संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के दौरान निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(ब) किसी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उनका कार्य प्रभारी मजिस्ट्रेट उनके थाना क्षेत्रों से संबंधित पुलिस चालान संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिये जाने हेतु स्वीकार करना।

(स) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सत्र न्यायालय/माननीय अपर सत्र न्यायालयों द्वारा भेजे गये जमानत आदेशों के अंतर्गत जमानत–मुचलके के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना।

संबंधित स्तंभ क0 क में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में निम्नानुसार शेष स्तंभों में वर्णित पीठासीन अधिकारीगण क्रमानुसार कार्य का संपादन करेगें।

–:: तालिका निम्नानुसार है ::–

क्र	क	ख	ग	घ		ड.		
1	श्री डी0एस0 बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर	श्री आशीष भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 पायल टोपनो, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्रीमती रूची मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 रूपल अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 स्वर्णा डेहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्रीमती अंजली पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्री सतीष कुमार खाखा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर
2	कु0 रूपल अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 स्वर्णा डेहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्रीमती रूची मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 पायल टोपनो, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्री आशीष भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्रीमती अंजली पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्री डी0एस0 बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर	श्री सतीष कुमार खाखा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर
3	श्रीमती अंजली पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 रूपल अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 पायल टोपनो, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 स्वर्णा डेहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्रीमती रूची मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्री आशीष भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्री डी0एस0 बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर	श्री सतीष कुमार खाखा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर
4	कु0 पायल टोपनो, मजिस्ट्रेट	श्रीमती अंजली पाण्डेय, न्यायिक	कु0 रूपल अग्रवाल न्यायिक	कु0 स्वर्णा डेहरे, न्यायिक	श्रीमती रूची मिश्रा, न्यायिक	श्री आशीष भगत, न्यायिक	श्री डी0एस0 बघेल, मुख्य	श्री सतीष कुमार खाखा न्यायिक

	प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर	मजिस्ट्रेट श्रेणी, प्र
5	श्रीमती रूची मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्री आशीष भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्रीमती अंजली पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 पायल टोपनो, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 रूपल अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 स्वर्णा डेहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्री डी0एस0 बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर	श्री सतीष कु खाखा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर
6	श्री आशीष भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्रीमती रूची मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 पायल टोपनो, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 रूपल अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 स्वर्णा डेहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्रीमती अंजली पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्री डी0एस0 बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर	श्री सतीष कुमार खाखा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर
7	श्री सतीष कुमार खाखा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर	कु0 रूपल अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्रीमती अंजली पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	कु0 पायल टोपनो, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्रीमती रूची मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्रीमती सावित्री रक्सेल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, सूरजपुर	श्री आशीष भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	श्री डी0एस0 बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर

(डी.एस. बघेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर,
जिला– सूरजपुर(छ0ग0)

क्रमांक– क/कार्य.विभा./आपराधिक/2025, सूरजपुर दिनांक–02.04.2025
प्रतिलिपिः–

01. प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
02. माननीय एफ0टी0ए0सी0/प्रथम/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
03. माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
04. श्री डी0एस0 बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी सूरजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
05. श्री कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सूरजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
06. श्रीमती अंजली पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सूरजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
07. कु0 पायल टोपनो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सूरजपुर, को सूचनार्थ प्रेषित।
08. श्रीमती रूची मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी सूरजपुर, को सूचनार्थ प्रेषित।
09. श्री आशीष भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी सूरजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
10. श्री सतीष कुमार खाखा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **प्रतापपुर** को सूचनार्थ प्रेषित।
11. जिलाध्यक्ष, सूरजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
12. पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्थ **समस्त थाना प्रभारी** को सूचित करने हेतु प्रेषित।
13. अति0 लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी/अति0 जिला अभियोजन अधिकारी, सूरजपुर/प्रतापपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
14. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सूरजपुर/प्रतापपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
15. आबकारी उपनिरीक्षक सूरजपुर/प्रतापपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
16. वन मण्डलाधिकारी सूरजपुर को सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थ वन परिक्षेत्राधिकारियों को सूचित करने के संबंध में प्रेषित।

दिनांक–02.04.2025
स्थान–सूरजपुर

(डी.एस. बघेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजपुर,
जिला– सूरजपुर(छ.ग.)

दं0प्र0सं0 की धारा 183 भारतीय नागरिक संहिता 2023 से संबंधित संस्वीकृति कथन से संबंधित कार्यविभाजन इस प्रकार है, जिसके अंतर्गत संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में पूर्व तालिका अनुसार अधिकारीगण साक्ष्य अंकित करेंगे :–

स्तम्भ क0 01	स्तम्भ क0 02	स्तम्भ क0 03
अधिकारीगण का नाम	थाना	तहसील से संबंधित कथन
कु0 रूपल अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	आ0जा0क0 सूरजपुर, भैयाथान, चांदनी	प्रतापपुर तहसील के अंतर्गत उत्पन्न सम्पूर्ण प्रकरणों में धारा 354, 509, 363 भा0द0स0 में धारा 183 भा0ना0सं0 2023 का कथन
श्रीमती अंजली पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	----------	----------
कु0 पायल टोपनो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	सूरजपुर, विश्रामपुर,	
श्रीमती रूची मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	भटगांव, जयनगर, ओड़गी	
श्री आशीष भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	रामानुजनगर, किशोर न्याय बोर्ड, प्रेमनगर,	
कु. स्वर्णा डेहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर	अजाक सूरजपुर, रामानुजनगर, भटगांव, चांदनी, ओड़गी, सूरजपुर, प्रेमनगर, बिश्रामपुर, भैयाथान, जयनगर, किशोर न्याय बोर्ड	स्तंभ क्रमांक–02 में उल्लेखित थानों से उत्पन्न धारा–64 बी0एन0एस0 में धारा 183 भा0ना0संहिता 2023 का कथन दर्ज करना एवं थाना–प्रतापपुर रमकोला, चंदौरा, भटगांव से संबंधित तहसील–प्रतापपुर के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रकरण धारा–64 बी0एन0एस0 को छोड़कर।
श्री सतीष कुमार खाखा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर	प्रतापपुर, रमकोला, चंदौरा एवं थाना भटगांव से संबंधित प्रतापपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र से उत्पन्ने होने वाले प्रकरण	स्तम्भ क्रमांक 02 में उल्लेखित थानों से उत्पन्न प्रकरणों में धारा 183 भा0ना0संहिता 2023 का कथन एवं धारा 74 से 79 बी0एन0एस0 को छोड़कर धारा 183 भा0ना0संहिता 2023 का कथन

दिनांक–02.04.2025
स्थान–सूरजपुर

(डी.एस. बघेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजपुर,
जिला– सूरजपुर(छ.ग.)